न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित चेतन देवड़ा आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 06/**2020** अपील (राजस्व)

मधुलिका सिंह पिता श्री स्व. नरेन्द्र सिंह निवासी–प्रताप कन्ट्री इन, तितरड़ी, तहसील–गिर्वा, उदयपुर,

— अपीलान्ट

बनाम

1. शक्तिसिंह पिता स्व. श्री नरेन्द्रसिंह निवासी–2, सिवसीयत लाईन्स, टाइगर हिल्स, बड़ी रोड़, उदयपुर
2. निलिमा कंवर शेखावत पत्नी ठाकुर उम्मेदसिंह शेखावत निवासी–गांव गागीयासर, जिला झुंझुनु, राजस्थान
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर
4. पटवारी पटवार हल्का तितरड़ी, तहसील गिर्वा

— रेस्पोडेन्टगण

अपील बाबत् नामान्तरकरण निरस्ती अन्तर्गत धारा–75

उपस्थित : श्री संजय कोठारी, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री कैलाश नागदा, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1

निर्णय

दिनांकः– 10/01/22

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट के पिता स्व. नरेन्द्रसिंह के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि पटवार हल्का तितरड़ी में स्थित है जिसके खाता संख्या 368 खसरा संख्या 2531 मीन रकबा 0.0513, 3620/2530 रकबा 0.0460, 3621/2531 रकबा 0.0098 कुल किता 3 रकबा 0.1071 स्थित है। अपीलाण्ट के पिता की मृत्यु दिनांक 14.01.2013 को हो गई थी। रेस्पोडेंट संख्या 1 बालेबाला अपीलाण्ट से सलाह किए बिना एक शपथ पत्र पटवारी हल्का गिर्वा में प्रस्तुत किया और उक्त शपथ पत्र मे अंकन किया कि स्व. नरेन्द्र सिंह की हम तीन ही

10/01/22

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 15:24:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
प्र.स. 06/20 (अपील) राजस्व
मधुलिका बनाम शक्तिसिंह

वारिस शक्तिसिंह, निलिमा कंवर और मधुलिका सिंह है। शपथपत्र के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा तीनों के नाम पर विरासत का अपीलाधीन नामान्तरकरण खुलवा दिया गया। जबकि नरेन्द्रसिंह जी द्वारा अपने जीवन काल में यह भूमि उनके स्वअर्जित होने से मुझ अपीलाण्ट के पक्ष में एक वसीयत दिनांक 01.06.2008 को की गई थी। श्री स्व. नरेन्द्रसिंह जी के अंतिम समय में अपीलाण्ट द्वारा ही उनकी सेवा चाकरी की थी। उसी से खुश होकर समस्त चल–अचल सम्पति की वसीयत अपीलाण्ट के नाम पर कर दी थी। अपीलाण्ट की भूमि हड़पने की नियत से रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण खुलवाया गया जिसे निरस्त फरमाया जाकर वसीयत के आधार पर उक्त भूमि का राज्य सरकार ने मेरे नाम पर दर्ज किए जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया। रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर अधिवक्ता श्री कैलाश नागदा उपस्थित जिनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई। रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा रजिस्टर्ड नोटिस लेने से मना (Refused) कर दिये जाने से लिफाफा पुनः प्राप्त हुआ जो संलग्न पत्रावली है जिसे तामिल माना जाकर रेस्पोडेंट संख्या 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है।

पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट के पक्ष में मौजा तितरड़ी की आराजी संख्या 2531 मीन रकबा 0.0513, 3620/2530 रकबा 0.0460, 3621/2531 रकबा 0.0098 कुल किता 3 रकबा 0.1071 हैक्टेयर भूमि को अपने पिता स्व. नरेन्द्र सिंह जी द्वारा उनके अंतिम समय में की गई सेवा चाकरी से खुश होकर उक्त भूमि की वसीयत दिनांक 01.06.2008 को की गई थी। परन्तु उक्त भूमि का अपीलीय नामांतरकरण रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा स्व. नरेन्द्रसिंह जी की मृत्यु के बाद गलत शपथ पत्र के आधार पर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 यानी की तीनों के नाम पर खुलवा दिया गया। रेस्पोडें[illegible] शक्तिसिंह द्वारा अपीलाण्ट की भूमि को हड़पना चाहता है अतः अपील[illegible]मांतरकरण खारिज फरमाया जाकर वसीयत के आधार पर अपीलाण्ट के नाम पर दर्ज कराना फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 15:24:39 IST
Reason: SelfAttested

10/01/22

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
प्र.स. 06/20 (अपील) राजस्व
मधुलिका बनाम शक्तिसिंह

उपस्थित अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलाण्ट के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 स्व. नरेन्द्रसिंह जी की संताने है यानी कि नरेन्द्रसिंह जी की संपति के विधिक वारिसान है। अपीलाण्ट द्वारा जो वसीयत दिनांक 01.06.2008 की बताई जा रही है उसे कभी भी बताई गई एवं न ही वह रजिस्टर्ड है। स्व. नरेन्द्रसिंह जी की मृत्यु दिनांक 14.08.2013 को हुई और नामान्तरकरण की कार्यवाही दिनांक 01.06.2015 को हुई। इसके बीच में वसीयत के आधार पर कभी भी नामांतरकरण हेतु अपीलाण्ट द्वारा तहसीलदार से संपर्क नहीं किया गया ना ही वसीयत तहसीलदार साहब के सामने प्रस्तुत की गई। तीनो ही नरेन्द्रसिंह जी के वारिसान है। अपने कथनों के ताईद में RRT 2014 Page 196 एवं RRT 2016(2) page 1099 प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि अपीलाण्ट चाहे तो नियमित दावा सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपने हक हकूक की घोषणा करानी चाहिए। वसीयत पहले कभी नहीं आई ना ही यह रजिस्टर्ड है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमायी जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्ट्या यह जाया जाता है कि स्व. नरेन्द्रसिंह जी की तीन संताने है जिसमे अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 है। वादग्रस्त भूमि स्व. नरेन्द्रसिंह जी की है। अपीलीय नामांतकरण विरासत के आधार पर खोला गया है जबकि अपीलाण्ट का यह कहना है कि उक्त वादग्रस्त भूमि की वसीयत वर्ष 2008 में स्व. नरेन्द्रसिंह जी द्वारा मेरे नाम पर कर दी गई। नरेन्द्रसिंह जी की मृत्यु 14. 01.2013 को हो गई थी एवं नामांतकरण की कार्यवाही 01.06.2015 को की गई। जिस अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर अपीलाण्ट उक्त भूमि को अपने नाम पर करवाना चाह रही है उस वसीयत को किसी द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी है। वसीयत के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किए जा सकते है परन्तु हस्तगत प्रकरण में जो वसीयत है वह अनरजिस्टर्ड है जिसकी जांच किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर [illegible] न्यायालय तहसीलदार गिर्वा का मौजा तितरडी का नामांतरकरण 5836 दिनांक [illegible].06.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार गिर्वा को पुनः [illegible] करते हुए निर्देशित किया जाता है कि स्व. नरेन्द्रसिंह जी के द्वारा निष्पा[illegible] वसीयत के

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 15:24:39 IST
Reason: SelfAttested

10/01/22

संबंध में युक्तियुक्त जांच की जाकर नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर नामांतकरण की कार्यवाही की जावे।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(चेतन राम देवड़ा) 22
जिला कलक्टर,
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 16:24:39 IST
Reason: SelfAttested